उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग
संख्या–116/40–2012–27(29)/92
लखनऊः दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

## विज्ञप्ति/संशोधन

एतद् विषयक पूर्ववर्ती आदेशों को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय अग्रिम आदेशों तक राज्य एकीकरण परिषद का पुनर्गठन निम्नवत किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मा0 मुख्य मंत्री जी | अध्यक्ष |
| 2. | राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) | उपाध्यक्ष |
| 3. | मा0 शिक्षा मंत्री जी | सदस्य |
| 4. | मा0 मंत्री जी, संस्कृति विभाग | सदस्य |
| 5. | मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग | सदस्य |
| 6. | ❖ मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित उ0प्र0 विधान मण्डल के सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों की संख्या के अनुपातिक आधार पर | सदस्यगण |
| 7. | अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, उत्तर प्रदेश | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग,उ0प्र0 | सदस्य |
| 10. | समाज कल्याण आयुक्त | सदस्य |
| 11. | प्रमुख सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 12. | प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 13. | निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0लखनऊ | सदस्य |
| 14. | ❖ समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित अधिकतम पॉच प्रतिनिधि (यदि मा0 मुख्य मंत्री जी उचित व आवश्यक समझें) | सदस्यगण |
| 15. | प्रमुख सचिव/सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग | सदस्य/सचिव |

❖ टिप्पणीः– उपरोक्त कमांक 6 व 14 के अनुसार मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा नामित कमशः सदस्यों/प्रतिनिधियों की सूची पृथक से निर्गत की जायेगी।

कृपया पूर्वोक्त विज्ञप्ति संख्या 77/चालीस–99–27 (20)/92 दिनांक 22 जनवरी, 1999 को इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाय। उक्त विज्ञप्ति की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगीं ।

(नेत राम)
प्रमुख सचिव

संख्या– 116(1)/40–2012–27(29)/92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3. राज्य एकीकरण परिषद में नामित मा0 मंत्रीगण के निजी सचिवों को, मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. राज्य एकीकरण परिषद के सभी सदस्य।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।

7– गार्ड पत्रावली ।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिन्हा)
उप सचिव।